न्यायालय में – श्रीमान् सदस्य महोदय, राजस्व मण्डल ग्वालियर (म0प्र0)

कैम्प कोर्ट–रीवा (म0प्र0) निगरानी 465-III-15

केदार प्रसाद तिवारी पिता श्री महेश प्रसाद तिवारी, निवासी ग्राम गोहपारू, थाना व तहसील गोहपारू, जिला शहडोल म.प्र. हाल मुकाम ग्राम बकहो, वार्ड नं. 18, तहसील बुढ़ार, जिला शहडोल म.प्र.

.... आवेदक / निगरानीकर्ता

बनाम

1. गुलाबवती पत्नी श्री चंद्रशेखर पाण्डे, निवासी ग्राम चंदेला, थाना व तहसील गोहपारू जिला शहडोल म.प्र.,
2. म.प्र. शासन एवं अन्य .... अनावेदक / गैरनिगरानीकर्तागण

श्री .... एड द्वारा आज दिनांक 05-2-15 के प्रस्तुत किया गया।
रीडर सर्किट कोर्ट रीवा

क्रमांक 4599
रजिस्टर्ड पोस्ट द्वारा आज दिनांक 23-2-15 को प्राप्त
क्लर्क ऑफ कोर्ट
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

निगरानी अंतर्गत धारा 50 म.प्र. भू राजस्व संहिता 1959.

न्यायालय श्रीमान् अपर कलेक्टर महोदय, जिला शहडोल के प्र.क्रं.4 / निग. / 2013–14 आदेश दिनांक 14.11.2014 व रा.प्र.क्रं. 33 / अ–3 / 2009–10 आदेश दिनांक17.03.2011 तहसील सोहागपुर वृत्त गोहपारू के पारित एवं घोषित आदेश के विरूद्ध

मान्यवर,

निगरानी के संक्षिप्त तथ्य निम्नलिखित है :–

1. यह कि आराजी खसरा नंबर 458 / 1 रकवा 0.372 हेक्टेयर भूमि जो स्थित ग्राम गोहपारू, तहसील गोहपारू, जिला शहडोल म.प्र. स्थित आराजी जो कि प्रश्नाधीन भूमि है, उपरोक्त आराजी निगरानीकर्ता की क्रयशुदा आराजी है, जिसे पूर्व भूमि स्वामी / विक्रेता केमला यादव पिता सुखदेव यादव जाति अहीर

के.प्र.तिवारी

R 465-III/15

22.9.15	शिकायतकर्ता की ओर से सूचना उपरान्त कोई उपस्थित नहीं। विपक्ष कर्ता की ओर से कोई उपस्थित नहीं। समय-समय पर तीन बार पुकार लगवाई गई। लेकिन कोई उपस्थित नहीं। शिकायतकर्ता की अनुपस्थिति के कारण प्रकरण अदम पैरवी में खारिज किया जाता है। आदेश